

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

क


सुंजो 63/17 तारीख रजू 14.6.17

उन वान - बृजमोहन बनाम तहसीलदार मेरेडा

दावा बाबत इस्तकार एक अन्तर्गत प्यार
00 सतिथ व आवेदन पत्र इन्दाज डुरु एती
प्यारा 136 LR एफ्ट

पादी की और से श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा
बाबत बाबत खोषणा खोते दारी व इन्दाज डुरु एती प्यारा 88,
136 के अन्तर्गत पेश किया। जमाबंदी का अवलोकन किया
गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपादी की पारिये सम्मन
से तलब कर दिनांक 22.6.17 को पेश हो।

2359
14.6.17


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कटीवा)


22.6.17 वादी वकील उप. / पैरोकार सरकार उप. / जब पेश
करने दिनांक 30.6.17 को पेश हो।

30.6.17 वादी वकील एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार
बालदाट उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जब पेश प्रस्तुत
किया कि संलग्न दस्तवेज, परिवार राशन कार्ड, आधाट
कार्ड अंकतालिका इत्यादि में बृजमोहन S/o रामभरोसी
दर्ज है जबकि जमाबंदी में मोहन S/o रामभरोसी
दर्ज है। बृजमोहन S/o रामभरोसी व मोहन S/o राम
भरोसी एक ही व्यक्ति है। अतः जमाबंदी संवत् 20275
137, 138, 139, गुम मेरेडा में खोते दा मोहन S/o

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

न्यायालय

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>रामभरोली के स्थान पर बृजमोहन S/o रामभरोली दर्ज किये जाने की अभिशंका की है। वादी वकील को सुना गया / पत्रावली का शिवालय किया / वादी बृजमोहन के दस्तावेजों में बृजमोहन S/o रामभरोली दर्ज है रिकार्ड जमाबंदी में मोहन दर्ज है पेंशन सरका लेंड होलडने भी मोहन S/o रामभरोली के स्थान पर बृजमोहन S/o रामभरोली दर्ज करने की अभिशंका की है जो इन्डाज डुकली किये जाने के योग्य है इस प्रकार से घोषणा किये जाने की आवश्यकता नहीं है प्रकाण इन्डाज डुकली का ही जो स्वीकार योग्य है अतः मोहन S/o रामभरोली के स्थान पर बृजमोहन S/o रामभरोली के आदेश दिये जाते हैं आदेश जारी करें / तहसीलदार टोडाभीम से पालना प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जावे।</p>


 उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (कैथली)